**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।**

**उपस्थितः– उपस्थितः श्री सुनील कुमार IV (एच.जे.एस.)**

**J.O.Code.U.P1885**

**सत्र परीक्षण संख्या– 513/2022**

**राज्य प्रति सलमा वगैरह**

**<u>आरोप</u>**

मैं ,सुनील कुमार IV सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,

आप अभियुक्तगणः–

1. सलमा पत्नी सरफुद्दीन, 2. सरफुद्दीन पुत्र महबूब,
3. मुमताज पुत्र सरफुद्दीन,

पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

**प्रथमः–** यह कि दिनांक 25–04–2022 समय 11.19 बजे वादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराये जाने से 06 माह पूर्व वादी मुकदमा की बहन रिजवाना की शादी मुमताज से होने व उसके बिदा होकर ससुराल आने के पश्चात् से दिनांक 24/25–04–2022 को रात्रि में किसी समय उसकी फांसी पर लटका कर दहेज हत्या अथवा हत्या कारित करने से ठीक पूर्व तक की समयावधि में स्थान सतपोखरी, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली में आप लोग दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने भा.दं.सं. की धारा 498ए के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**द्वितीयः–** यह कि उपरोक्त समयावधि व स्थान पर दहेज की मांग के अनुक्रम में दहेज की मांग पूरी न होने पर अन्ततः दिनांक 24/25–04–2022 को रात्रि में किसी समय आप लोगों ने वादी मुकदमा की बहन की फांसी पर लटका कर हत्या कर दी। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने धारा 304बी भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**(विकल्पतः)–** यह कि उपरोक्त समयावधि एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण ने अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 24/25–04–2022 में रात्रि में किसी समय वादी मुकदमा की बहन की फांसी पर लटका कर हत्या कर दी। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 302 सपठित 34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

**तृतीयः–** यह कि दिनांक 25–04–2022 समय 11.19 बजे वादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराये जाने से 06 माह पूर्व वादी मुकदमा की बहन रिजवाना की शादी अभियुक्त मुमताज से होने व उसके बिदा होकर ससुराल आने के पश्चात् से दिनांक 24/25–04–2022 को रात्रि में किसी समय उसकी फांसी पर लटका कर दहेज हत्या अथवा हत्या कारित करने से ठीक पूर्व तक की समयावधि में स्थान सतपोखरी, थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली में आपलोग दहेज में मोटरसाईकिल व 50,000/–रू की मांग किया करते थे। इस प्रकार आपलोगों ने धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपलोगो को आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोपों के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–11–10–2022.

(सुनील कुमार IV)<br>सत्र न्यायाधीश,<br>चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः–11–10–2022.

(सुनील कुमार IV)<br>सत्र न्यायाधीश,<br>चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या– 513/2022

राज्य प्रति सलमा वगैरह

11–10–2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मुमताज जेल से तलब होकर तथा अभियुक्तगण सलमा एवं सरफुद्दीन मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्त मुमताज की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता श्री जुबैर अहमद का अभिभाषक पत्र दाखिल किया गया। पत्रावली पर रखा जाए। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण सलमा, सरफुद्दीन एवं मुमताज पर धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं. विकल्पतः 302/34 भा.दं.सं. एवं 3/4 डी.पी. एक्ट का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

बादहू,

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्तगण पर धारा 498ए, 304बी भा.दं.सं., विकल्पतः 302/34 भा.दं.सं. एवं 3/4 डी.पी. एक्ट का आरोप लगाया गया जिसे उन्होंने अस्वीकार किया तथा परीक्षण का दावा किया।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु मुकदमा दिनांक 01–11–2022 को प्रस्तुत हो।

सेशन जज,
चन्दौली।

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2022.10.11 04:49:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court